फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती कैलाशीबाई | **विपक्षी : श्री पुष्कर**

किस्म मुकदमा –53 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 46/22**

जीसीएमएस : 2022/85

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.04.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का पेश किया। शामिल फाईल रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विड्रो का पेश कर नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विड्रो को पढकर अधिवक्ता वादीगण को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। चूंकि अधिवक्ता वादीगण अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली** Signature Not Verified	

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:50:55 IST
Reason: SelfAttested